

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 227/2022 अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीएक्ट

कालूराम पुत्र श्योलाल जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 25 रावतसर तहसील रावतसर।

-वादी

बनाम

1. बीरबल पुत्र श्योलाल जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 25 रावतसर तहसील रावतसर।
2. श्रवण पुत्र श्योलाल जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 25 रावतसर तहसील रावतसर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व पल्लू।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री दुलीचन्द अठवाल वकील-वादी

श्री दयालाराम भाटी प्रतिवादी सं. 1, 2

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 3

निर्णय दिनांक- 25.11.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. वादी कालूराम पुत्र श्योलाल को चक नम्बर 1 आर.डब्ल्यू.एस. एम. के पत्थर नम्बर 210/13(6) के किला नम्बर 1/1 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 9 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 10/1 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 11/1 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 19 की 0.075 हैक्टेयर उतरी पासा, किला नम्बर 20/1 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 21/2 की 0.202 हैक्टेयर कुल 1.9480 हैक्टेयर कमाण्ड,
2. प्रतिवादी संख्या 1 बीरबल को चक नम्बर 1 आर.डब्ल्यू.एस. एम. के पत्थर नम्बर 210/13 (6) के किला नम्बर 3-8-13-18 की 1.0120 हैक्टेयर, किला नम्बर 22 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 23 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 24 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 17 की 0.075 हैक्टेयर दक्षिण पासा, किला नम्बर 19 की 0.178 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 1.9490 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि का,
3. प्रतिवादी संख्या 2 श्रवण को चक नम्बर 1 आर.डब्ल्यू.एस.एम. के पत्थर नम्बर 210/13 (6) के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 16 की 1.5180 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 17 की 0.178 हैक्टेयर उतरी पासा कुल 1.9490 हैक्टेयर कमाण्ड
4. चक नम्बर 1 आर.डब्ल्यू. एस.एम. के पत्थर नम्बर 213/13(6) के किला नम्बर 25 की 0.2280 है. भूमि में से पश्चिमी दिशा में उतर से दक्षिण 0.025 है. भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा किला नम्बर 25 की शेष भूमि 0.203 है. भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 25.11.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

